(23)

3117
23.07.12

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र2 / बोर्ड–विविध–17 / 2012 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

MEMBER (FINANCE) B.S.E. BOARD • PATNA •
24 JUL 2012

विषयः **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में एक–एक अतिरिक्त 33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं अन्य 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फुलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में 1 अदद कुल पाँच 33 के0भी0 लाईन "बे" के निर्माण की कुल 3.70 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2.00 करोड़ (दो करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

राज्य के सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132 / 33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेन्द्रों में 50 एम0भी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु 33 के0भी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। अन्य 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फुलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में 1 अदद कुल पाँच 33 के0भी0 लाईन "बे" बनाने की योजना है। इस प्रकार 33 के0भी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" पाँच अदद एवं 33 के0भी0 लाईन "बे" पांच अदद का निर्माण किया जाना है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 3.70 करोड़ रूपये आकलित की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उपर्युक्त उल्लेखित 132 / 33 के0भी0 5 ग्रिड सब–स्टेशन में एक–एक अतिरिक्त 33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं पाँच 33 के0भी0 लाईन "बे" के निर्माण की कुल 3.70 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2.00 करोड़ (दो करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F / 4 / 3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

<u>ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–</u>

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1 / 4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज उपशीर्ष–0104–बिहार राज्य विद्युत् पर्षद को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801001900104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 749 दिनांक 26.6.2012 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–17/2012 दिनांक______

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड–विविध–17/2012 3117 दिनांक 23/7/12

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य (वित्त) बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/12
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक --प्र2/बोर्ड–विविध–18/2012 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन में अतिरिक्त 132 के०भी० ट्रान्सफॉर्मर "बे" के निर्माण की कुल 5.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

राज्य में विद्युत मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यरत सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेन्द्रों में 50 एम०भी०ए० क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु 132 के०भी० के पाँच अदद ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 5.00 करोड़ रूपये आकलित की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन में अतिरिक्त 132 के०भी० ट्रान्सफॉर्मर "बे" के निर्माण की कुल 5.00 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से आरम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष–0104–बिहार राज्य विद्युत् पर्षद को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801001900104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 750 दिनांक 26.6.2012 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2 / बोर्ड–विविध–18 / 2012 दिनांक________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बोर्ड–विविध–18 / 2012 3118 दिनांक 23/7/12

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / सदस्य (वित्त) बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय) / लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बोर्ड विविध–14 / 2012 पटना, दिनांक – ____

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसमें 2x195 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट लगायी जा रही है। पहली इकाई से उत्पादन का लक्ष्य जून' 2013 एवं दुसरे इकाई से उत्पादन का लक्ष्य सितम्बर' 2013 है। इन नयी इकाईयों से बिजली की निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली का उपयोग हो सके। वर्त्तमान में 220 के0भी0 एम0टी0पी0एस0–गोपालगंज, 220 के0भी0 एम0टी0पी0एस0–दरभंगा, एवं 132 के0भी0 एम0टी0पी0एस0 – एस0के0एम0सी0एच0 के दूसरे सर्किट का रिकंडक्टरिंग कर उत्पादित बिजली को गोपालगंज, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पहुँचायी जा सके।

2. उपरोक्त नई यूनिटो से होने वाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली के निर्माण के बिना उत्पादित होने वाले विद्युत् की निकासी एवं उपयोग संभव नहीं है। इस कारण काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड के दोनों नई ईकाइयों के चालू होने के पहले संचरण प्रणाली का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली की निकासी ससमय हो सके। इस कार्य हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 26,11,93,744.00 (छबीस करोड़ ग्यारह लाख तीरानवें हजार सात सौ चौवालीस) मात्र आकलित की गई है।

3. उक्त आलोक में काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन की निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F / 4 / 3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

कृ0पृ0उ0

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज उपशीर्ष–0104–बिहार राज्य विद्युत पर्षद को परियोजनाओं हेतु ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801001900104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 9016 दिनांक 14.08.12 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–14/2012 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–14/2012 4361 दिनांक 26/9/12

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/12
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

[illegible] 2012 पटना, दिनांक -

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः— **कॉंटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण के लिए 26.12 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित लागत 28.3951 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष 2.28 करोड़ (दो करोड़ अठाईस लाख रूपये) रूपये वित्तीय वर्ष 2014—15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

कॉंटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसमें 2x195 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट लगायी जा रही है। पहली इकाई से उत्पादन का लक्ष्य जून' 2013 एवं दुसरे इकाई से उत्पादन का लक्ष्य सितम्बर' 2013 है। इन नयी इकाईयों से बिजली की निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली का उपयोग हो सके। वर्त्तमान में 220 के0भी0 एम0टी0पी0एस0—गोपालगंज, 220 के0भी0 एम0टी0पी0एस0—दरभंगा, एवं 132 के0भी0 एम0टी0पी0एस0—एस0के0एम0सी0एच0 के दूसरे सर्किट का रिकंडक्टरिंग कर उत्पादित बिजली को गोपालगंज, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पहुँचायी जा सके।

2. उक्त आलोक में राज्यादेश संख्या—4361 दिनांक 26.09.2012 द्वारा कॉंटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन की निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तिय वर्ष 2012—13 में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कालान्तर में कार्यान्वयन के दौरान कुछ उपस्करों की मात्रा में बढ़ोत्तरी के कारण योजना की कुल लागत ₹ 28,39,51,784.54 हो गयी है।

3. राज्य सरकार द्वारा कॉंटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण के लिए 26.12 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित लागत 28.3951 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष 2.28 करोड़ (दो करोड़ अठाईस लाख रूपये) रूपये वित्तीय वर्ष 2014—15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय—उप मुख्य शीर्ष—05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष—190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0—10 उपशीर्ष—0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड— P4801051900105 विषय शीर्ष 5401—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ0पृ0ऊ0

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या–0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/बोर्ड विविध–14/2012 के पृष्ठ संख्या 22/टि0 पर दिनांक 19.09.2014 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या– प्र02/बोर्ड विविध–14/2012 के पृष्ठ संख्या–25/टि0 पर दिनांक 05.12.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(कामेश्वर शुक्ला)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–14/2012 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–14/2012 5480 दिनांक 26/12/2014

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.14
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

3608
10.8.11

पत्रांक –प्र02 / बोर्ड–विविध–94 / 10 पटना, दिनांक – ________

...त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप ...े परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:– **बूढ़ी गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ एवं नदी के बहाव की दिशा परिवर्त्तन के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर एवं संचरण लाईन के पुर्ननिर्माण हेतु कुल 1.72 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश: स्वीकृत।

बूढ़ी गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ एवं नदी के बहाव की दिशा परिवर्त्तन के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाईन के दो क्षतिग्रस्त टावर एवं संचरण लाईन के पुर्ननिर्माण की योजना है। इसके लिए दो अदद पाइल फॉउन्डेशन होना है। कार्य पूरा होने की स्थिति में मुजफ्फरपुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं निर्माणाधीन एस0के0एम0सी0एच0 ग्रीड उपकेन्द्र आपस में जुट पायेंगे जिसके कारण मुजफ्फरपुर इलाके में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षित सुधार होगा। इस योजना की कुल लागत 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) करोड़ रूपये है।

2. उक्त आलोक में बूढ़ी गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ एवं नदी के बहाव की दिशा परिवर्त्तन के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाईन के क्षतिग्रस्त टावर एवं संचरण लाईन के पुर्ननिर्माण हेतु कुल 1.72 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F / 4 / 3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

<u>ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–</u>

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

कृ0पृ0उ0

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800 विद्युत बोर्डो के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष–0101 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801008000101 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 808/(बजट पदाधिकारी), दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक ....3608.... दिनांक ....10/8/11....

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

10/8/11

(17)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

3607
10.8.11

पत्रांक –प्र2/बोर्ड–विविध–93/10 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

CE(Tr.)/CE(Dup)

विषयः **सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के० भी० मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 4.15 (चार करोड़ पन्द्रह लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।**

FC-1
CE(Plg)
AUG 2011

आदेशः **स्वीकृत।**

बागमति नदी के तटबंधों का विस्तार और बाढ़ निरोधक कार्य होने से 132 के० भी० संचरण लाइनों के टावरों की ऊँचाई कम हो गयी है। इन टावरों की ऊँचाई बढ़ाने से संचरण लाइन सुरक्षित रूप से कार्य करने एवं जान–माल की क्षति रोकने हेतु सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के० भी० मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की योजना है। प्रस्तावित योजना के तहत आठ 132 के० भी० संचरण लाइन के टावर एवं छः पाइल फॉउन्डेंशन तथा दो आपेन फॉउन्डेंशन का निर्माण किया जाना है।

7219/5
12/8/11

जल संसाधन विभाग द्वारा बागमति बांध योजना का विस्तार का कार्य किया गया। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा अविलम्ब टावरों की ऊँचाई बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिए बागमति तटबंध विस्तार योजना को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सम–विकास योजना के अन्तर्गत रून्नीसैदपुर में निर्माणाधीन ग्रीड उपकेन्द्र से विद्युत् आपूर्ति चालू की जा सकेगी तथा ग्रीड उपकेन्द्र को एस०के०एम०सी० हॉस्पिटल में बनने वाले ग्रीड को जोड़ा जा सकेगा।

7821/FC-12.
2.08.11
C.(R)

3. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यादेश संख्या 1556 दिनांक 29.03.2011 द्वारा सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के० भी० मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 2 (दो) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई थी।

0671/FC(R)
13-8-11

4. वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के० भी० मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 4.15 (चार करोड़ पन्द्रह लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत प्रदान की जाती है।

D(L)
C(R) is on leave.
17-8-11

5. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101– बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण–राज्य योजना माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3257/सचिव (व्यय) दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–93/10 दिनांक__________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड–विविध–93/10 3607 दिनांक 10/8/11

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

10/8/11

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

3609
10.8.11

पत्रांक –प्र02/बोर्ड–विविध–35/10 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:– टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 27.67 (सताईस करोड़ सरसठ लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, निमित संचरण की संरचना में व्यापक विस्तार हो रहा है। संचरण प्रणाली में बढ़ते हुए विद्युत मांग के आलोक में टेह्टा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संरचण लाईन के निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अनुरोध किया गया है। टेहटा (जहानाबाद) में ग्रिड सब स्टेशन एवं पटना–गया 132 के0भी0 संरचण लाईन से जोड़ने हेतु LILO व्यवस्था के निर्माण के लिए 18.60 करोड़ रूपये आकलित की गई है। इसी प्रकार इमामगंज (गया) में ग्रिड सब स्टेशन एवं इमामगंज–शेरघाटी संचरण लाईन के निर्माण के लिए 32.60 करोड़ रूपये आकलित की गई है। अतः इस योजना की कुल लागत 51.20 करोड़ रूपये है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यादेश संख्या 4607 दिनांक 30.11.2010 द्वारा टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 1 (एक) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 27.67 (सताईस करोड़ सरसठ लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

कृ0पृ0उ0

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जा उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801007890102 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3276/सचिव (व्यय) दिनांक 01.06.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक ......3609...... दिनांक ......10/8/11......

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र02 / बोर्ड–विविध–57 / 10 पटना, दिनांक – ________

वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:– **एकमा (सारण) में 132 / 33 के0वी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 3.10 (तीन करोड़ दस लाख) करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, संवरण एवं वितरण हानी में कमी के उद्देश्य से बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132 / 33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन का निर्माण किया जाना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यादेश संख्या 4805 दिनांक 30.11.2010 द्वारा बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132 / 33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 1 (एक) करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः एकमा (सारण) में 132 / 33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 3.10 (तीन करोड़ दस लाख) करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F / 4 / 3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

कृ0पृ0उ0

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801007890102 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3267/सचिव (व्यय) दिनांक 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक ....3611.......... दिनांक ....10/8/11......

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
10/8/11

(AC TRANS)

3612
10.8.11

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र02/बोर्ड–विविध–18/10 3612 पटना, दिनांक – 10/8/11

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखंड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011–12 में ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जन्दाहा अवस्थित पॉवर सब स्टेशन भी विभिन्न कारणों से कार्यरत नहीं है। जन्दाहा की दूरी भी कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से अधिक है। इस कारण भी क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी बिजली बाधित रहती है। जन्दाहा कृषि आधारित एक बड़ा क्षेत्र है। जहाँ बिजली की संतोषजनक व्यवस्था के लिए ग्रिड का निर्माण आवश्यक है। जन्दाहा के 10–15 कि0मी0 की परिधि में कई पॉवर सब स्टेशन अवस्थित हैं जन्दाहा में ग्रिड उन्हें एक सुदृढ़ श्रोत प्रदान करेगा। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 25 (पच्चीस) करोड़ रूपये व्यय होने की संभावना है।

O/C

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यादेश संख्या 3427 दिनांक 18.08.2010 द्वारा वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य योजना 25 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु (पॉच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखंड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सू देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छू होगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–010 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 680100789010 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि र विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारती स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारती स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 ए आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा क जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 3277/सचिव (व्यय) दिनां 01.08.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक ......3612...... दिनांक ......10/8/11......

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/11
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
10/8/11

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र2/विद्युत बोर्ड–16/2002 1507/28.03.2011 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: **132/33 के0भी0 शेरघाटी ग्रीड उपकेन्द्र एवं 132 के0भी0 बोधगया–शेरघाटी संचरण लाईन का राज्य योजना के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्य की योजना को पुनरीक्षीत लागत 25.10 करोड़ रूपये पर पूरा करने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 11.10 करोड़ रूपये ऋण की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश: **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या 80 दिनांक 31.03.2003 द्वारा 132/33 के0भी0 ग्रीड उपकेन्द्र शेरघाटी एवं 132 के0भी0 द्विपरिपक्षीय संचरण लाईन के निर्माण हेतु 14.00 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए 2.00 करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्वीकृति किया गया था। राज्यादेश संख्या 129 दिनांक 31.03.2005 द्वारा 2.17 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश संख्या 24 दिनांक 03.01.2007 द्वारा 9.83 करोड़ रूपये विद्युत बोर्ड को विमुक्त किया गया है। इस योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है परन्तु योजना लागत में बढ़ोतरी के कारण योजना को पूरा नहीं किया जा सका। इस योजना की पुनरीक्षित लागत 25.10 करोड़ रूपये हो गई है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस कार्य को पूरा करने हेतु 11.10 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के0भी0 शेरघाटी ग्रीड उपकेन्द्र एवं 132 के0भी0 बोधगया–शेरघाटी संचरण लाईन का राज्य योजना के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्य की योजना को पुनरीक्षित लागत 25.10 करोड़ रूपये पर पूरा करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं इस योजना को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 11.10 करोड़ रूपये (ग्यारह करोड़ दस लाख रू0) ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

क्र0पृ0उ0

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101– बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण–राज्य योजना माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष–5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

7. वित्त विभाग के परामर्शानुसार राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/विद्युत बोर्ड–16/2002 दिनांक__________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/विद्युत बोर्ड–16/2002 1501 दिनांक 26/3/11

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

MEMBER FINANCE B.S.E. BOARD PATNA

98

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक ..../ सं0
प्र0–2 / वि0बोर्ड–04 / 2003.

दिनांक..............................

औपचारिक रूप से विमर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा – वित्त विभाग।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2006–07 में बिहार राज्य बिद्युत बोर्ड की संचरण/वितरण व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु 9.83 करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 9.83 करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 9.83 करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए 9.83 करोड़ (नौ करोड़ तिरासी लाख) रूपये मात्र व्यय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 132/33 के0भी0 ग्रीड उपकेन्द्र शेरघाटी का निर्माण किया जाएगा।

3. यह राशि बजट शीर्ष – 6801 – बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– राज्य योजना –800– विद्युत बोर्डो के लिये अन्य कर्ज –0101– बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण– मांग सं0–10– विपत्र कोड पी0–6801008000101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 के उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एफ–4–98–88–3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पूर्व में दिये गये ऋण के मूल सूद की बावत प्रसंगाधीन राशि से 25 प्रतिशत की कटौती की व्यवस्था से विद्युत बोर्ड की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए पर्षद को छुट प्रदान की जाती है। ऋण की शर्ते निम्नवत होगी :

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान दस बराबर वार्षिक किस्तों में होगा इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि के एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस ऋण पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य अभियन्ता के सचिव (प्रावैधिक) ऊर्जा विभाग के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को किया जायेगा।

39/M(F) 05/01/07

75/FCI 5/1/07

15/DCA 5/1/07

6. किसी भी परिस्थिति मे इस राशि का व्यय अन्य परियोजना में नही किया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन "टर्न की" के आधार पर किया जायेगा। राज्य विद्युत बोर्ड कार्य का सम्पादन कर स्वीकृत राशि का उपयोग फरवरी, 2007 तक सुनिश्चित करेगा।

8. अनुरोध है कि मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्रावैधिक) ऊर्जा विभाग, पटना, के पदनाम से रू0 9.83 करोड़ (नौ करोड तिरासी लाख) रूपये का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक – ....
प्र0–2 / वि0बोर्ड–04 / 2003.

पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक – 24
प्र0–2 / वि0बोर्ड–04 / 2003.

पटना, दिनांक 3/1/07

प्रतिलिपि :– सदस्य (वित्त), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड / लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्रा0), ऊर्जा विभाग / निबंधन / प्रशाखा–7 / बजट शाखा / लेखा शखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रशाखा–7, वित्त / राजस्व शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग ।

(94)

पत्रांक-प्र2/विद्युत बोर्ड-4/003-   पटना, दिनांक

सेवा में,

औपचारिक रूप से समर्पित ।

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा: × वित्त विभाग ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2004-2005 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 14.00 करोड़ (चौदह करोड़) रूपये में से 2.17 करोड़ (दो करोड़ सतरह लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस विभाग के राज्यादेश संख्या-80 दिनांक 31.3.2003 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 132/33 के.भी. का ग्रिड उपकेन्द्र शेरघाटी, 132 के.भी. द्विपरिपथीय संचरण लाईन के लिए 14.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए 2.00 करोड़ (दो करोड़) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी । राज्य सरकार द्वारा उक्त संचरण लाईन के लिए वित्तीय वर्ष 2004-2005 में पुनः 2.17 करोड़ (दो करोड़ सतरह लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. यह राशि बजट शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण राज्य योजना -300- विद्युत बोर्डों के लिए अन्य ऋण-0101-बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण माँग संख्या-10, विपत्र कोड सं.पी. 680100800101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में उपबंधित राशि से आवंटन के आधार पर होगा ।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एफ-4-98-88-3881 दिनांक 7.7.89 के अनुसार पूर्व में दिये गए ऋण के मूल एवं सूद की बावत प्रसंगाधीन राशि से 25 % की कटौती की व्यवस्था से विद्युत बोर्ड की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए पर्षद को छूट दी जाती रही है, जिसे जारी रखे जाने का प्रस्ताव है ।

ऋण की शर्तें निम्नवत होगी :-

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान दस बराबर वार्षिक किस्तों में होगा । इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण बिल निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी ।

(ख) इस ऋण पर 13 % की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा ।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 25 % की दर से विलम्ब दंड देय होगा ।

4. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (PTD) ऊर्जा विभाग के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी। जिसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को किया जायेगा ।

5. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय अन्य परियोजनाओं में नहीं किया जायेगा ।

139563

(पृ० उ०...)

6. अनुरोध है कि मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्राविधिक) उर्जा विभाग के पटना के पदनाम से 2.17 करोड़ (दो करोड़ सतरह लाख) रूपये का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

ह0/-
(के0 सी0 मिश्र)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र2/विद्युत बोर्ड-4/003- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(के0 सी0 मिश्र)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र2/विद्युत बोर्ड-4/003- 129 पटना, दिनांक 31/3/05

प्रतिलिपि- सदस्य (वित्त) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/लेखा पदाधिकारी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्राविधिक) उर्जा विभाग, पटना/निबंधक, उर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, उर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में) उर्जा विभाग, पटना/गार्ड फाईल, उर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, पटना/प्रशाखा-7 वित्त विभाग, पटना/राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 31/3/05
(के0 सी0 मिश्र)
सरकार के सचिव।

Attention: Accounts Officer
Transmission Circle
Gaya

(14)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक
[illegible] 27/ विविध 07/2002 [illegible]

पटना, दिनांक– 31/3/03

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

महालेखाकार,
बिहार एवं झारखंड
पो. नेहिन्दू, रांची ।

द्वारा – वित्त विभाग ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2002–03 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 25.00 करोड़ रुपये में से 2.00 करोड़ (दो करोड़) व्यय की स्वीकृति ।

BBI P/226
dt 31.3.03

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2002–03 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 25.00 करोड़ रुपये में से 132/33 के.भी. का ग्रीड उपकेन्द्र शेरघाटी, 132 के.भी. द्विपरिपथीय संचरण लाइन के लिए 14.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये मात्र व्यय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है ।

2. यह राशि बजट शीर्ष–6801–विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार–अन्य क्षेत्रीय उप योजना–800–विद्युत पर्षद को उधार–0101–बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण विपत्र कोड–680100/680101 के रूप में वित्तीय वर्ष 2002–03 के उपबंधित राशि से आवंटन के आधार पर विकलनीय होगा ।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एफ–4–98–88–3881 दिनांक 7.7.1989 के अनुसार पूर्व में दिये गये ऋण के मूल एवं सूद की बावत प्रसंगाधीन राशि से 25% की कटौती की व्यवस्था से विद्युत बोर्ड की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए पर्षद को छूट दी जाती रही है, जो जारी रखे जाने का प्रस्ताव है ।

ऋण की शर्तें निम्नवत होगी :

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान दस बराबर वार्षिक किस्तों में होगा इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि के एक साल बाद से प्रारम्भ होगी ।

(ख) इस ऋण पर 13% की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा ।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5% की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा ।

4. इस राशि की निकासी मुख्य अभियन्ता के सचिव (प्रा.) ऊर्जा विभाग के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को किया जायेगा। ।

5. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय अन्य परियोजना में नहीं किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्रा.) ऊर्जा विभाग, पटना के पदनाम से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-,
सरकार के विशेष सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक-प्र.2-वि.बोर्ड-16/2002

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक- प्र.2-वि.बोर्ड-16/2002 ९०

पटना, दिनांक- 31/3/02

प्रतिलिपि : सदस्य (वित्त), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्रा.), ऊर्जा विभाग/निबंधक/प्रशाखा 7/ बजट शाखा/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा-7, वित्त/राजस्व शाखा, वित्त/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र2 / बोर्ड–विविध–उत्पादन / निधि / 06–07 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

1439/24.03.11

विषयः **बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह–उत्पादित विद्युत् सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाईन एवं 132 के0भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 7.99 (सात करोड़ निन्यानवे लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के स्तर पर दिनांक 13.11.2006 एवं दिनांक 17.04.2007 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सह–विद्युत सयंत्रों से उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाईन के निर्माण की लागत राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

2. उपर्युक्त आलोक में राज्य में स्थापित मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज (बेतिया) एवं मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिद्धवलिया (गोपालगंज) चीनी मिलों के सह उत्पादित विद्युत् सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाईन का निर्माण हेतु राज्यादेश संख्या 794 दिनांक 17.03.2009 द्वारा बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 876.23 (आठ करोड़ छिहत्तर लाख तेइस हजार) लाख रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है।

3. उपर्युक्त आलोक में राज्यादेश संख्या 4693 दिनांक 03.12.2010 द्वारा बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह–उत्पादित विद्युत् सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाईन एवं 132 के0भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई एवं स्वीकृत राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उपलब्ध करा दिया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस योजना के लिए शेष राशि 7.99 करोड़ रूपये का अतिरिक्त योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया है।

5. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह–उत्पादित विद्युत् सयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाईन एवं 132 के0भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 7.99 (सात करोड़ निन्यानवे लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

कृ0पृ0उ0

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

7. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101– बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण–राज्य योजना माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

9 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आई0–135/F8 दिनांक–03.03.11 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड–विविध–उत्पादन/निधि/06–07 दिनांक

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड–विविध–उत्पादन/निधि/06–07 1439 दिनांक 24/3/11

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/11
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

4693/03.12.2010

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक 02/बोर्ड–विविध–उत्पादन/निधि/06–07 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह–उत्पादित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाईन एवं 132 के0 भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5(पांच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के स्तर पर दिनांक 17.10.2006,13.11.2006 एवं दिनांक 17.04.2007 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सह–विद्युत संयंत्रों से उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाईन के निर्माण की लागत राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

2. राज्य में स्थापित मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज (बेतिया) एवं मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिद्धवलिया (गोपालगंज) चीनी मिलों के सह उत्पादित विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु नये संचरण लाईन का निर्माण हेतु राज्यादेश संख्या 794 दिनांक 17.03.09 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 876.23 (आठ करोड़ छिहतर लाख तेइस हजार) लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है।

3. वर्त्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) ने सुगौली एवं लौरिया चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लिया है एवं इनके संयंत्रों का जीर्णोद्धार अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जाना है। इन दोनों परियोजनाओं से सह–विद्युत उत्पादित विद्युत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निकटतम विद्युत उपकेन्द्रों क्रमशः मोतिहारी एवं रामनगर को 13 मेंगावाट (प्रत्येक परियोजना) 132 के0भी0 के स्तर पर उपलब्ध किया जाना है। अन्य तीसरा चीनी मिल हरिनगर से भी सह–उत्पादित बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कि फरवरी, 2011 तक चालू हो सकेगा एवं निकटतम रामनगर ग्रीड उप केन्द्र में 11 मेगावाट बिजली प्राप्त हो सकेगी।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के सुगौली, लौरिया एवं हरिनगर चीनी मिलों के सह–उत्पादित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी एवं खरीद हेतु 132 के0भी0 संचरण लाईन एवं 132 के0 भी0 बे के निर्माण हेतु कुल 12.99 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5(पांच) करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–800–विद्युत बोर्डो के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101–बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आई0 578 व03 दिनांक 23.11.2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

लगातार......

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड–विविध–उत्पादन/निधि/06–07 4693 दिनांक 3/12/10

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य (वित्त) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/10

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

3.12.10

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक [illegible] ऊर्जा / बाढ़–क्षतिपूर्ति –24 / 07 पटना, दिनांक [illegible]

प्रेषक

प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार।

सेवा में,

मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक),
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोशी बाढ़ 2008 में हुए क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों यथा ट्रान्सफार्मर, पोल, सी०सी०डी०एस०, कन्डक्टर, आदि के मरम्मति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गैर योजना मद से बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत आवंटित राशि 2784.00 (सताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान हेतु 2784.00 (सताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये मात्र का उप आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभाग के आवंटन संख्या [illegible]–3–49 / [illegible]–135 / आ०प्र० दिनांक 21.3.2009 एवं शुद्धिपत्र संख्या [illegible] दिनांक 25.3.[illegible] के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008–09 में कोशी बाढ़ 2008 में हुए क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों यथा ट्रान्सफार्मर, पोल, सी०सी०डी०एस०, कन्डक्टर, आदि के मरम्मति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गैर योजना मद से बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत आवंटित राशि 2784.00 (सताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान हेतु 2784.00 (सताइस करोड़ चौरासी लाख) लाख रुपये मात्र का उप आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि वित्तीय वर्ष 2008–09 में गैर–योजना मद के बजट मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष –02 बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष–[illegible]–अन्य व्यय, उप शीर्ष –0008–क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु विपत्र कोड एन 2245[illegible]0008 के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक के उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. [illegible] राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर [illegible] शीर्ष [illegible] शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष पर मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

क्रमशः 2

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 [वि0(2)] दिनांक 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2237/आ0प्र0 दिनांक 20.08.2008 द्वारा वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 [वि0 (2)] दिनांक 17.4.1998 की कंडिका 10 के आलोक में रु0 10,000/– से अधिक अग्रिम राशि की निकासी से संबंधित विपत्रों को पारित करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008–09 तक प्रभावी रहेगा।

6. यदि उपर्युक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 31.3.2009 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी नही करेंगे। इस राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक ______ दिनांक ______

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक ______ दिनांक ______

प्रतिलिपि अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अपर आयुक्त, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा वित्त विभाग/संसाधन शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

लगातार ...

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

(2) FCI

44 दिनांक 26/03/09

प्रतिलिपि अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ एवं [illegible] पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. यह आवंटन ऊर्जा विभाग के पत्रांक 42 दिनांक 06.01.2009 एवं आपके पत्रांक 208 दिनांक 5.12.08 के आलोक में तृतीय अनुपूरक आगणन 2008–09 में उपबंधित राशि से कोशी बाढ़ 2008 में हुए क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों यथा– ट्रान्सफार्मर, पोल, [illegible] [illegible]एस०, कंडक्टर आदि के मरम्मति हेतु ऊर्जा सेक्टर को निर्गत किया जा रहा है। [illegible] [illegible] व्यय विभागीय [illegible] संख्या 2462/आ०प्र० दिनांक 12.08.2007 के आलोक में [illegible] [illegible] की जाय एवं की गई व्यय की सूचना इस विभाग को भी दी जाय।

2. आवंटित राशि [illegible] उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए [illegible] [illegible] गया है। किसी [illegible] मद में इस राशि का [illegible] नहीं किया [illegible] [illegible] अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जिम्मेवार होंगे। [illegible] गई राशि का [illegible] महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता [illegible] सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को [illegible] [illegible]

प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

संचिका – प्र0 ८/बोर्ड विविध –53/2010

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित। संख्या नं.

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः 132/33 के0 भी0 2x50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के0 भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 2x10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 को 22.36 करोड़ (बाइस करोड़ छतीस लाख) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

मीठापुर में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के आलोक में 132/33 के0भी0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को हटाने एवं करबिगहिया में नया 132/33 के0भी0 ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छः माह के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.12.2010 को मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि विद्युत् बोर्ड को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम करबिगहिया परिसर में नये 132/33 के0भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं करबिगहिया स्थित 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र को 2X10 एम0भी0ए0 के ट्रांसफारमर से विस्तार किया जायेगा। इससे संबंधित 33 के0भी0 एवं 11 के0भी0 केबुल फीडरों एवं 33 के0भी0 ओवर हेड लाईन के निर्माण की भी योजना है, जिससे पटना शहर की विद्युत् आपूर्ति बाधित नहीं हो।

2. उपर्युक्त आलोक में 132/33 के0 भी0 2x50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के0 भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 2x10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 को 5 (पाँच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में राज्यादेश संख्या–1490 दिनांक 25.03.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यादेश संख्या–1472 दिनांक 29.03.2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 को 50 (पचास) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के0 भी0 2X50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के0 भी0 4X50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 2X10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 को 22.36 करोड़ (बाइस करोड़ छतीस लाख) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(3) [illegible] का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता / सब्सिडी की राशि से अतिदेय / देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि बजट शीर्ष खंड–II-8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 449,58,96,000.00 (चार सौ उनचास करोड़ अनठावन लाख छियानवें हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या–542 दिनांक–01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 297 दिनांक 06.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बोर्ड विविध–53 / 2010 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 12/2/13

ज्ञापांक प्र02 / बोर्ड विविध–53 / 2010 7/6

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग।

556/F(C)
12-2-13

(27)

126
12.02.13

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक — 302 / बोर्ड—विविध—35 / 10 पटना, दिनांक

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः— **टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2012—13 में 22.53 (बाईस करोड़ तिरपन लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 के संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, निर्मित संचरण की संरचना में व्यापक विस्तार हो रहा है। संचरण प्रणाली में बढ़ते हुए विद्युत मांग के आलोक में टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0द्वारा अनुरोध किया गया है। टेहटा (जहानाबाद) में ग्रिड सब स्टेशन एवं पटना—गया 132 के0भी0 संरचण—लाईन से जोड़ने हेतु LILO व्यवस्था के निर्माण के लिए 18.60 करोड़ रूपये आकलित की गई है। इसी प्रकार इमामगंज (गया) में ग्रिड सब स्टेशन एवं इमामगंज—शेरघाटी संचरण लाईन के निर्माण के लिए 32.60 करोड़ रूपये आकलित की गई है। अतः इस योजना की कुल लागत 51.20 करोड़ रूपये है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010—11 में राज्यादेश संख्या 4607 दिनांक 30.11.2010 द्वारा टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को 1 (एक) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011—12 में राज्यादेश संख्या 3609 दिनांक 10.08.2011 द्वारा 27.07 (सताईस करोड़ सतराठ लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. वित्तीय वर्ष 2012—13 में पुनः टेहटा (जहानाबाद) एवं इमामगंज (गया) में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 51.20 (एकवान करोड़ बीस लाख) करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2012—13 में 22.53 (बाईस करोड़ तिरपन लाख) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :—

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि बजट शीर्ष खंड–II-8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष ... – ... परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0104 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801007890104 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 150,23,04,000.00 (एक सौ पचास करोड़ तेईस लाख चार हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या–543 दिनांक–01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN -0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 291 दिनांक 05.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–35/2010 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–35/2010 726 दिनांक 12/2/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

(28)

पत्रांक --ऋ02/ बोर्ड--विविध 57/10   पटना, दिनांक

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः— एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1 करोड़ (एक) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 के वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, संचरण एवं वितरण हानी में कमी के उद्देश्य से बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन का निर्माण किया जाना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यादेश संख्या 4605 दिनांक 30.11.2010 द्वारा बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 1 (एक) करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः राज्यादेश संख्या 3611 दिनांक 10.08.2011 द्वारा 3.10 करोड़ (तीन करोड़ दस लाख) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2012–13 में पुनः एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 1 करोड़ (एक) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

[illegible]

[illegible] परियोजनाओं के लिए ऋण उप मुख्य शीर्ष–[illegible] अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0104 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801007890104 विस्तृत शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 150,23,04,000.00 (एक सौ पचास करोड़ तेईस लाख चार हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या–543 दिनांक–01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 296 दिनांक 05.02.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–57/2010
दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–57/2010 728
दिनांक 12/2/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

(29)

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखंड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि० को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जन्दाहा अवस्थित पॉवर सब स्टेशन भी विभिन्न कारणों से कार्यरत नहीं है। जन्दाहा की दूरी भी कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से अधिक है। इस कारण भी क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी बिजली बाधित रहती है। जन्दाहा कृषि आधारित एक बडा क्षेत्र है। जहॉ बिजली की संतोषजनक व्यवस्था के लिए ग्रिड का निर्माण आवश्यक है। जन्दाहा के 10–15 कि०भी० की परिधि में कई पॉवर सब स्टेशन अवस्थित हैं जन्दाहा में ग्रिड उन्हें एक सुदृढ़ श्रोत प्रदान करेगा। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 25 (पच्चीस) करोड़ रूपये व्यय होने की संभावना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्यादेश संख्या 3427 दिनांक 18.08.2010 द्वारा वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखण्ड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य योजना 25 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु (पॉच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः राज्यादेश संख्या 3612 दिनांक 10.08.2011 द्वारा 10 (दस) करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई थी।

3. वित्तीय वर्ष 2012–13 में पुनः वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखंड को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जन्दाहा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि० को ऋण के रूप में 10 (दस) करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि बजट शीर्ष खंड–II–8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0104 बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801007890104 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 150,23,04,000.00 (एक सौ पचास करोड़ तेईस लाख चार हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्यादेश संख्या–543 दिनांक–01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ०एफ०सी० कोड SBIN –0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 300 दिनांक 05.02.213 द्वारा सहेमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–18/2010 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–18/2010 731 दिनांक 12/2/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

29.0

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र0 2/बोर्ड विविध –53/2010 पटना, दिनांक – ________

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **132/33 के0 भी0 2x50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के0 भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 2x10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 50 (पचास) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

मीठापुर में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के आलोक में 132/33 के0भी0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को हटाने एवं करबिगहिया में नया 132/33 के0भी0 ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छः माह के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.12.2010 को मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि विद्युत् बोर्ड को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम करबिगहिया परिसर में नये 132/33 के0भी0, 4X50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं करबिगहिया स्थित 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र को 2X10 एम0भी0ए0 के ट्रांसफारमर से विस्तार किया जायेगा। इससे संबंधित 33 के0भी0 एवं 11 के0भी0 केबुल फीडरों एवं 33 के0भी0 ओवर हेड लाईन के निर्माण की भी योजना है, जिससे पटना शहर की विद्युत् आपूर्ति बाधित नहीं हो।

2. उपर्युक्त आलोक में 132/33 के0 भी0 2x50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के0 भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 2x10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में राज्यादेश संख्या–1490 दिनांक 25.03.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में 4 (चार) चालू योजनाओं के लिए कुल 170 करोड़ रूपये का अतिरिक्त योजना उद्व्यय योजना एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

4. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 132/33 के0 भी0 2x50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132/33 के0 भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33/11 के0भी0 2x10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 50 (पचास) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

क्र0पृ0उ0

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–विद्युत बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101– बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण–राज्य योजना माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से निकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114903 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN--0000153 आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या 1510 (सचिव, व्यय) दिनांक 29.03.2012 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड विविध --53/2010 दिनांक__________

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड विविध –53/2010 1472 दिनांक 29/3/12

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य अभियंता, योजना, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/12

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

1490/25.03.2011

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०2 / बोर्ड विविध –53 / 2010 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **132 / 33 के0 भी0 2x50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33 / 11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132 / 33 के0 भी0 4x50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33 / 11 के0भी0 2x10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

मीठापुर में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के आलोक में 132 / 33 के0भी0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33 / 11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को हटाने एवं करबिगहिया में नया 132 / 33 के0भी0 ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छः माह के भीतर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 16.12.2010 को मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया था। इसके लिए आवश्यक राशि विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम करबिगहिया परिसर में नये 132 / 33 के0भी0, 4X50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं करबिगहिया स्थित 33 / 11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र को 2X10 एम0भी0ए0 के ट्रांसफारमर से विस्तार किया जायेगा। इससे संबंधित 33 के0भी0 एवं 11 के0भी0 केबुल फीडरों एवं 33 के0भी0 ओवर हेड लाईन के निर्माण की भी योजना है, जिससे पटना शहर की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो। इस परियोजना की कुल लागत 77.36 करोड़ रूपये है।

2. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 132 / 33 के0 भी0 2X50 एम0भी0ए0 मीठापुर ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33 / 11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र आर0के0 नगर को अपने स्थान से हटाकर करबिगहिया परिसर में 132 / 33 के0 भी0 4X50 एम0भी0ए0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं 33 / 11 के0भी0 2X10 एम0भी0ए0 शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 77.36 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 (पाँच) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F / 4 / 3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

<u>ऋण की अन्य शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–</u>

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

8. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101– बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण–राज्य योजना माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

10 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

11. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बोर्ड विविध –53/2010 दिनांक__________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बोर्ड विविध –53/2010 1490 दिनांक 25/3/11

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पत्रांक – प्र2 / बोर्ड–विविध–93 / 10

पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 2 (दो) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में।**

आदेशः **स्वीकृत।**

बागमती नदी के तटबंधों का विस्तार और बाढ़ निरोधक कार्य होने से 132 के0 भी0 संचरण लाइनों के टावरों की ऊँचाई कम हो गयी है। इन टावरों की ऊँचाई बढ़ाने से संचरण लाइन के सुरक्षित रूप से कार्य करने एवं जान–माल की क्षति रोकने हेतु सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की योजना है। प्रस्तावित योजना के तहत आठ 132 के0 भी0 संचरण लाइन के टावर एवं छः पाइल फॉउन्डेशन तथा दो आपेन फॉउन्डेशन का निर्माण किया जाना है।

2. जल संसाधन विभाग द्वारा बागमती बांध योजना का विस्तार का कार्य किया गया है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा अविलम्ब टावरों की ऊँचाई बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिए बागमती तटबंध विस्तार योजना को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सम–विकास योजना के अन्तर्गत रून्नीसैदपुर में निर्माणाधीन ग्रीड उपकेन्द्र से विद्युत् आपूर्ति चालू की जा सकेगी तथा ग्रीड उपकेन्द्र को एस0के0एम0सी0 हॉस्पिटल में बनने वाले ग्रीड को जोड़ा जा सकेगा।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बागमती नदी के तटबन्ध के बीच पड़ने वाले 132 के0 भी0 मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी संचरण लाइन के टावरों की ऊँचाई बढ़ाने की 6.15 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 2 (दो) करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है।

4. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F / 4 / 3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

क्रमशः पृ0उ0

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।

(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

5. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–विद्युत् परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–विद्युत् बोर्ड के लिए अन्य कर्ज उपशीर्ष–0101– बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को ऋण–राज्य योजना माँग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801008000101 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के डायरी संख्या–1631/ सचिव (व्यय) दिनांक–23.03.2011 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक———

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–93/10

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 29/3/11

ज्ञापांक-प्र02/बोर्ड–विविध–93/10 1556

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/योजना शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव–(प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना/ग्रुप लेखा निदेशक (मुख्यालय)/लेखा पदाधिकारी (ऋण), बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

4605/30.11.2010

01 DEC 2010

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –/प्र02/बोर्ड–विविध–57/10 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग, व्यय– अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 1 (एक) करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, संचरण एवं वितरण हानि में कमी के उद्देश्य से बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन का निर्माण किया जाना है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य के एकमा (सारण) में 132/33 के0भी0 मिनी ग्रिड एवं इसके सम्पर्क लाईन के निर्माण हेतु 5.10 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 1 (एक) करोड़ रूपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चूंकि यह राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, अतः वित्त विभाग के परिपत्र संख्या F/4/3881 दिनांक 07.07.1989 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25 प्रतिशत की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

(क) ऋण एवं सूद का भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
(ख) इस राशि पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(ग) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1/4 (चौथाई) प्रतिशत छूट होगी।

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800 विद्युत बोर्डो के लिए अन्य कर्ज़ उप शीर्ष–0101 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण–राज्य योजना मांग सं0–10 विपत्र कोड–पी. 6801008000101 विषय शीर्ष–55 01 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या–568एफ08 दिनांक–18.8.2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक ....4605.... दिनांक ....30/11/10....

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा–8 वित्त विभाग/ मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सदस्य वित्त, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/ सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/10

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग

30/11/10